

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 07/Teh/B/2025

तिथि दायरा : 05-06-2025

तारीख पेशी : 06-11-2025

किस्म मु0 : जन्म पंजीकरण

शीर्षक.—विन्ता देवी पुत्री टेक सिंह, निवासी गांव बैहल, डा0 झरेट जगियां, ग्राम पंचायत झरेट, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका जन्म गांव बैहल, डा0 झरेट जगियां, ग्राम पंचायत झरेट में दिनांक 01-06-1964 को हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत झरेट के अभिलेख में दर्ज न करवाई है जिसे वह सम्बन्धित ग्राम पंचायत झरेट के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थिया की जन्म तिथि दिनांक 01-06-1964 को ग्राम पंचायत झरेट के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 06-11-2025 तक असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदिका की जन्म तिथि दिनांक 01-06-1964 को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत झरेट को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0
115/2025/TEH

तारीख दायरा
01-10-2025

तारीख पेशी
03-11-2025

प्रार्थी विधि सिंह पुत्र ख्याली राम, निवासी महाल नटेहड़, मौजा उजैन, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल हलेडकला व मौजा उजैन, पटवार वृत्त जोगीपुर में वधि सिंह दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम विधि सिंह पुत्र ख्याली राम दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम वधि सिंह की बजाए विधि सिंह उपनाम वधि सिंह पुत्र ख्याली राम सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 03-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 06-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं०
114 / 2025 / TEH

तारीख दायरा
08-10-2025

तारीख पेशी
07-11-2025

प्रार्थी राज कुमार पुत्र संत राम, निवासी महाल हार जलाड़ी, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल चौहन्दा, पटवार वृत्त चौहन्दा में राजमल दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम राज कुमार पुत्र संत राम दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम राजमल की बजाए राज कुमार पुत्र संत राम सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 07-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं०
116 / 2025 / TEH

तारीख दायरा
08-10-2025

तारीख पेशी
07-11-2025

प्रार्थी किशोरी लाल पुत्र माधो राम, निवासी महाल ललेहड़, डा0 कच्छायरी, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी किशोरी लाल पुत्र माधो राम, निवासी महाल ललेहड़, डा0 कच्छायरी, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल ललेहड़, पटवार वृत्त जोगीपुर, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के भूमि राजस्व रिकार्ड में पठानू दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम किशोरी लाल पुत्र माधो राम दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम पठानू की बजाए किशोरी लाल उपनाम पठानू पुत्र माधो राम सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 07-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं०
110 / 2025 / TEH

तारीख दायरा
06-10-2025

तारीख पेशी
04-11-2025

प्रार्थी जनक राज पुत्र जगदीश चन्द, निवासी गांव व डा0 सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पिता का नाम महाल व मौजा सौहड़ा, पटवार वत्त अबदुल्लापुर में जगदीश चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम दिसो राम पुत्र दिवाना दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का सही नाम जगदीश चन्द की बजाए जगदीश चन्द उर्फ दिसो राम पुत्र दिवाना सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 04-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं०
113 / 2025 / TEH

तारीख दायरा
06-10-2025

तारीख पेशी
04-11-2025

प्रार्थिया श्रीमती विक्रमा देवी पुत्रो किहरू पुत्र वेली, निवासी महाल सौहड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल व मौजा सौहड़ा, पटवार वृत्त अबदुल्लापुर में कुमारी राम प्यारी दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया का नाम श्रीमती विक्रमा देवी पुत्र किहरू दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का सही नाम कुमारी रामप्यारी की बजाए श्रीमती रामप्यारी उपनाम विक्रमा देवी पुत्रो किहरू पुत्र वली, निवासी महाल सौहड़ा का सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 04-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं०
112 / 2025 / TEH

तारीख दायरा
06-10-2025

तारीख पेशी
04-11-2025

प्रार्थी विक्रम सिंह पुत्र सरनू उपनाम सरन दास, निवासी महाल वल्ला, डा0 नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 37(2) भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल वल्ला, मौजा सौहड़ा, पटवार वृत्त अबदुल्लापुर में विक्रम चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम विक्रम सिंह पुत्र सरनू उपनाम सरन दास पुत्र सुन्दर दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम विक्रम चन्द की बजाए विक्रम सिंह पुत्र सरनू उपनाम सरन दास का सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 01-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं०
110 / 2025 / TEH

तारीख दायरा
06-10-2025

तारीख पेशी
07-11-2025

प्रार्थी प्रियांशु सैणी पुत्र विनोद सैणी, निवासी महाल वल्ला, डा० नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पिता का नाम महाल वल्ला, मौजा सौहड़ा, पटवार वृत्त अबदुल्लापुर में विनोद कुमार दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी के पिता का नाम विनोद सैणी पुत्र धनी राम उपनाम तारा दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का सही नाम विनोद कुमार की बजाए विनोद सैणी पुत्र धनी राम उपनाम तारा का सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 07-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।
